(c) and (d) No, Sir. Government have been continually taking all possible steps for maintenance of law and order in the capital. These steps include increased patrolling, posting of pickets at strategic points, strengthening of intelligence machinery, frequent raids at the hide-outs of criminals, increased surveillance, coordinating meetings with the officials of the neighbouring states, training cf police officers in handling modern weapons, introduction of scientific methods of ivestigation and modernisation of communications network etc.

संगठनो द्वारा विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम का उल्लघंन

2170. **चौधरी हरमोहन सिंह** :

श्री ईश दत्त यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन संगठनों के नाम एवं पते क्या- क्या हैं, जिन्हें विदेशी अंशदान प्राप्त हो रहा है और जिन्होंने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 का उल्लंघन किया है तथा धन का दुरूप्रयोग किया है; और

(ख) 30 जून, 1995 तक उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पंजीकृत अथवा पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए पंजीकृत अथवा पूर्व अनुमति प्रदान करके विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात संगठनों के खिलाफ की गई कार्रवाई मुख्यतः दो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती है-

(क) ऐसे संगठन जिनको पंजीकरण द्वार अथवा पूर्व अनुमति प्रदान करके विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई थी परन्तु जिनको बाद में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने अथवा उसका उपभोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था ।

(ख) ऐसे संगठन जिनको विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत पंजीकृत किया गया था परन्तु बाद में जिन्हें विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी।

उन संगठनों के नाम व पते, जिनके खिलाफ 1.1.1992 से 30.6.1995 तक की अवधि के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन कार्रवाई की गई है, इस प्रकार हैः-

1. चिल्ड्रन्स डैवलपमैंट कम्युनिटीज इंडिया,
134, बैनजी रोड, कलकत्ता।
2. मद्रास चर्च आफ क्राईस्ट,
नं. 11, शिनाय रोड, हंगम- बक्कम, मद्रास।
3. न्यू लाईक कम्युनिटी डैवलपमैंट सोसायटी,
मुबारक बाग, अजमेर रोड, जयपुर।
4. तिब्बतन कल्चर एण्ड एजुकेशन फाउंडेशन,
सी-10, देवेथा प्लाजा,
रेजिडैंसी रोड, बंगलूर।
5. हैबीटैट फार हयुमैनिटि,
22/बी/6 ईश्वर भवन,
ए- रोड चर्च गेट, बम्बई।
6. त्रिवेंद्रम हैबीटेट फार ह्यूमैनिटि ,
टी,सी. 11/1493, गवर्नमेंट यू.पी.एस. के
सामने,
नांथेन कोड, त्रिवेंद्रम।
7. कलकत्ता रैस्कयू
10, नीलोमणी मित्र स्ट्रीट,
कलकत्ता।
8. बाबा हरनाम सिंह आफ लंगेर,
साहिब गुरूद्वारा ट्रस्ट,
नगीना घाट, नांदेण।
9. आर्गेनाईजेशन फार ईलम,
रिफ्यजीज रिहैबिलिटेशन,
iii री मंजिल, 14 संत कालोनी,
प्रथम स्ट्रीट, एममौर, मद्रास।
10. नेशनल एपोस्टोलिक चर्च,
एजुकेशन सोसायटी
कुकाड़े ले- आउट,
नागपुर-440003।
11. न्यू एपोस्टोलिक चर्च आफ इंडिया,
वनजारी नगर, नागपुर-440003।
12. जागृति विहार,
मैक्लूस्कीगंज, रांची -829208।

13. कर्नाटक बेलफेयर सोसायटी,
वासावी धर्मशाला रोड़,
चिकबल्लापुर, कोलार जिला,
कर्नाटक।

14. डैस्टीट्यूट चिल्ड्रंस आर्क, बैरीज काटेज,
टिन फैक्ट्री के पीछे, बी नारायणपुरा, बंगलूर।

15. सोशल डैवलपमेंट आर्गनाइजेशन,
मत्रूर (पोस्ट), पोलाची -642005।

16. अहमदाबाद स्टेडी एक्शन ग्रुप,
दलाल बिल्डिंग,
कैपेरी होटल के पीछे,
रिलीफ रोड, अहमदाबाद-380001।

17. बाईबल लिट्रेचर सर्विस,
4, एसेसियेशन रोड़,
मादावारम, मद्रास -600060।

18. इंडियन गौस्पेल सर्विसिज,
अली नगर, औराकड्
मद्रास -600057।

19. कैनिंग उत्रयन परिषद, पो. आ. कैनिंग टाऊन,
जिला-दक्षिणी-24 परगना, पिन-743329।

20. लिटिल फ्लौवर सैमिनरी,
अलूवा, एल्वे जिला, केरल।

21. चर्च आफ साउथ इंडिया, थांजावूर डायोसिंस, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु।

22. आकोर्ट लुथेरान चर्च, तिरूकोयलर, साउथ आकोर्ट जिला तमिलनाडु।

23. रैस्क्यू आउटरीच सोसायटी आफ इंडिया,
106, सिंधी कालोनी चैम्बूर,
बम्बई।

Posting of lady personnel on Suburban Railway System

2171. SHRI V. RAJESHWAR RAO: DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government feel that there is need to post a lady RPF personnel in each lady compartment-on the Suburban railway system;

(b) if so, by when it will be done; and

(c) what steps are being taken to give protection to lady commuters?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Policing, maintenance of Law and Order and control of related crimes on Railway premises including running trains is the responsibility of State Govts, concerned who discharge these duties through the Government Railway Police. The Railway Protection Force is primarily responsible for protecting and safeguarding the Railway property and cannot be deployed in place of GRP for providing protection to lady commuters. However, RPF renders all assistance to GRP in this regard.

Corruption charges against Officials of Postal Department of West Bengal Circle

2172. SHRI VISHNU KANT SHASTRI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints regarding corruption charges against officials of the postal department Nadia South Division, Kalyani, Nadia, under West Bengal Postal Circle; and

(b) if so, the details of complaints received and the action Government have taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir.

(b) One complaint dated 8.4.95 addressed to Hon'ble Prime Minister/